न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 315/2017/225 आरटीए

1. अनिलकुमार पुत्र अभिमन्यू जाति जाट निवासी फ्रेन्डस कॉलोनी गायत्री नगर अजमेर रोड़ ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. अभिमन्यू पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी आयुर्वेदिक औषधालय के पास हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. राजीव कुमार पुत्र अभिमन्यू जाति जाट निवासी आयुर्वेदिक औषधालय के पास हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.06.2017 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 188/2016 अनवानी अनिलकुमार बनाम अभिमन्यू आदि

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री बलवीर सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांक –22.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व मे रेस्पो0 सं. 1 की माता गोमतीदेवी के नाम से दर्ज थी जो अप्रार्थी/रेस्पो0 सं. 1 के नाम जद्दी जायदाद होने के कारण दर्ज हुई जिसमे प्रार्थी/अपीलांट का जन्म से अपना हक व हिस्सा होने के कारण अपने हिस्से की घोषणा व खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया तथा ताफैसला वाद अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध रहन, बैय आदि द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्तरित करने से ममनू व बाज रहने का अनुतोष चाहा तथा वादग्रस्त आराजी को कुर्क फरमाई जाकर ताफैसला वाद रिसीवर नियुक्त किये जाने का अनुतोष चाहा, जिस पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 हाजिर आये तथा प्रार्थी द्वारा किये गये कथनो से इन्कारी करते हुए वादपत्र खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा जिस पर दिनांक 28.06.2017 को अपीलाधीन आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के हित को सुरक्षित करना अदालत का दायित्व है लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हितो की ओर ध्यान ना देकर वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त न कर कानूनी भूल की है। अपीलांट द्वारा रहन, बैय आदि द्वारा वादग्रस्त भूमि को अन्तरित नही करने के साथ वादग्रस्त आराजी को कुर्क फरमाई जाकर ताफैसला वाद रिसीवर नियुक्त करने का अनुतोष चाहा गया था, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 08.07.2016 ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया परन्तु अपीलांट द्वारा रिसीवर नियुक्त किये जाने का जो अनुतोष चाहा गया था, के बारे मे किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नही किया जबकि विचारण न्यायालय को अपीलांट के हितो की सुरक्षा करते हुए वादग्रस्त आराजी को कुर्क फरमाया जाकर रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिए था। अपीलांट के हितो की सुरक्षा करने का दायित्व विचारण न्यायालय का था तथा मुकदमेबाजी को बढ़ने से रोकने के लिये वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाना अति आवश्यक था जिससे अपीलांट के हितो की सुरक्षा विधिपूर्ण तरीके से हो सकती थी परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर ध्यान न देकर वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त न कर कानूनी भूल की है। वादग्रस्त आराजी इनमिडियों है तथा रेस्पो0 सं. 1 व 2, अपीलांट को काश्त करने दखलअंदाजी करने पर

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

उतारू है तथा रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा अपीलांट को धमकी दी गई है कि अपीलांट के हक हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन काबिज होगें। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर तहसीलदार राजस्व को वादग्रस्त आराजी पर ताफैसला वाद रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 को माता गोमती देवी के जीवनकाल मे दिनांक 15.07.83 को जरिये डिक्री विरासतन प्राप्त हुई है। इस भूमि मे रेस्पो0 सं. 1 व 2 व अपीलांट 1/3–1/3 बहिस्सा बराबर के खातेदार है। रेस्पो0 ने कभी भी रेस्पो0 सं. 2 व अपीलांट को हिस्सा देने से इन्कारी नही की है। रेस्पो0 वादग्रस्त 15.10 बीघा भूमि को काश्त कर रहा है एवं उसकी ऐवज की रकम का हिस्सा भी 1/3 हिस्सा के अनुसार अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 2 को रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अदा किया जा रहा है। रेस्पो0 द्वारा शांतिपूर्वक अपने रिकार्डेड भूमि की काश्त की जा रही है। रेस्पो0 सं. 1 एक 85 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। जिसकी देखभाल करने का कर्तव्य अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 का है। रेस्पो0 के विरूद्ध अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि खुर्द बुर्द करने एवं रहन, बैय करने के मिथ्या आरोप लगाये है। रेस्पो0 सं. 1 वादग्रस्त भूमि मे 1/3 हिस्सा देने को एवं 1/3 हिस्सा का अच्छी मंदी के हिसाब से खाता तकसीम करवाने हेतु सहमत है तथा विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद बाबत घोषणा एवं खाता तकसीम विचाराधीन है जिसमे मुताबिक हक हिस्सा अपीलांट को भूमि दी जानी है। अपीलांट ने रेस्पो0 को तंग परेशान की नियत से अपील प्रस्तुत की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय एवं मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहने तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश दिया गया है जिसे अपीलाधीन निर्णय के जरिये ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है। ऐसी

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

स्थिति मे वादग्रस्त भूमि रिसीवर नियुक्ति का आदेश दिया जाना कतई न्यायोचित नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायाल की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व मे रेस्पो0 सं. 1 की माता गोमतीदेवी के नाम से दर्ज थी जो अप्रार्थी/रेस्पो0 सं. 1 के नाम जद्दी जायदाद होने के कारण दर्ज हुई जिसमे प्रार्थी/अपीलांट का जन्म से अपना हक व हिस्सा होने के कारण अपने हिस्से की घोषणा व खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया तथा ताफैसला वाद अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध रहन, बैय आदि द्वारा अन्तरित करने से ममनू व बाज रहने का अनुतोष चाहा तथा वादग्रस्त आराजी को कुर्क फरमाई जाकर ताफैसला वाद रिसीवर नियुक्त किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व पारित अन्तरिम आदेश जिसमे वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय एवं मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहने तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया जिसे अपीलाधीन निर्णय के जरिये ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया। परन्तु अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त हेतु अनुतोष चाहते हुए अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार रेस्पो0 सं. 1 अपीलांट के हक हिस्सा के अनुसार यानि 1/3 हिस्सा देने हेतु सहमत है तथा 1/3 हिस्सा के अनुसार खाता तकसीम करने हेतु कथन भी किया गया है। रेस्पो0 सं. 1 वादग्रस्त भूमि मे हक हिस्सा के अनुसार भूमि दिये जाने से इन्कारी नही कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद बाबत घोषणा एवं खाता तकसीम विचाराधीन है तथा मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय एवं मुन्तकिल न करने हेतु स्थगन

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कन्फर्म किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि के रिसीवर नियुक्ति का युक्ति युक्त कारण प्रतीत नही हो रहा है। क्योंकि विवादग्रस्त भूमि पर रिसीवर की नियुक्ति बहुत ही हार्स एवं अन्तिम रेमेडी होने के कारण रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। उभय पक्षो के हकों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद में किया जाना है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official